न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील भरण पोषण प्रकरण संख्या 09/2019 (RCMS No. 2019/00111) अनवान् 1. ओमप्रकाश पुत्र बीरबलराम जाति बिश्नोई निवासी 5 बी.एल.एम. तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर बनाम प्रवीण कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश जाति बिश्नोई निवासी 5 बी.एल.एम. तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

26.08.2019

अपीलार्थी ओम प्रकाश एवं अप्रार्थी प्रवीण कुमार आज उपस्थित नहीं है। बहस पूर्व में दिनांक 29.07.2019 को सुनी गई थी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर के समक्ष अपीलार्थी/प्रार्थी ओमप्रकाश ने माता पिता एंवं वरिष्ठ नागरिक का भारण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 01.06.2018 को अप्रार्थी प्रवीण कुमार विरूद्ध पेश करके प्रार्थना की थी कि प्रार्थी 71 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति है और वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आता है। रेस्पोडेंट /अप्रार्थी श्री प्रवीण कुमार, जो कि प्रार्थी का पुत्र है। अपीलांट/प्रार्थी के नाम चक 5 बीएलएम का मुरब्बा नम्बर 12 पत्थर नम्बर 190/400 का कि.नं. 1 ता 3, 8 ता 13, 19 ता 25 का रकबा है। उक्त वर्णित भूमि के कि.नं. 21 में बनी ढाणी में प्रार्थी अपनी पत्नि सहित निवास कर रहा है। प्रार्थी का पुत्र रमेश उक्त ढाणी में प्रार्थी के साथ जबरन निवास कर रहा है और प्रार्थी को तंग परेशान करता है। इसलिए रेस्पोडेंट/अप्रार्थी प्रवीण कुमार को उक्त ढाणी में बेदखल किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी व अप्रार्थी की सुनवाई करने के पश्चात दिनांक 24.04.2019 के आदेश से उसका प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिसकी अप्रसन्नता से यह अपील हमारे सक्षम प्रस्तुत करके अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 24.04.2019 को निरस्त करने व रेस्पोडेंट/अप्रार्थीगण को अपीलांट की ढाणी से बेदखल करने के आदेश चाहे है।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

बहस पूर्व में दिनांक 29.07.2019 को सुनी गई थी। बहस पर मनन किया गया और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी का कथन था कि वह एक 71 वर्षीय वृद्ध है, जो वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आता है और अपीलार्थी के चक 5 बीएलएम के पत्थर नम्बर 190/400 के मुरब्बा नम्बर 13 किला नम्बर 1 ता 3, 8 ता 13, 19 ता 25 का रकबा है जो उसके अकेले की खातेदारी है। उक्त वर्णित भूमि के किला नं. 21 में अपीलांट की रिहायशी ढाणी बनी हुई है। जिसमें प्रार्थी अपनी पत्नी सहित निवास कर रहा है और रेस्पोडेंट प्रार्थी का लड़का है, वह भी अपीलार्थी के साथ जबरन रहता है और गाली गलौच व झगडा करता है इसलिए उसने अधीनस्थ न्यायालय में उक्त भूमि के किला नं 21 से उसे बेदखल करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय विधिक प्रावधानों की अवहेलना करके उसका प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इसलिए उसकी अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त कर रेस्पोडेंट को उसकी ढाणी से बेदखल किया जावे।

इसके विपरीत रेस्पोडेंट का कथन था कि मुरब्बा नम्बर 12 पत्थर संख्या 190/400 के किला नं. 21 में अपीलांट की कोई ढाणी नहीं बनी हुई है और ना ही ऐसी किसी ढाणी में अपीलांट व उसकी पत्नी निवास कर रहे है। रेस्पोडेंट ने कभी भी अपीलांट से गाली गलौच नहीं किया और न ही कभी मारने की धमकी दी है।

उसका आगे यह भी कथन था कि प्रार्थी जिस ढाणी को स्वयं की होना बता कर उस ढाणी से बेदखल करना चाहता है वह ढाणी उसकी न होकर रेस्पोडेंट/अप्रार्थी की है। रेस्पोडेंट/अप्रार्थी उसमे परिवार सहित निवास करता है किन्तु प्रार्थी सीनियर सीटीजन की आड में बेदखल करवाना चाहता है, जिसका वह कतई अधिकारी नही है।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

उसका आगे यह भी कथन है कि चक 5 बीएलएम के मुरब्बा नम्बर 12 पत्थर नं. 190/400 की 3.162 हैक्टर व मुरब्बा नम्बर 22 पत्थर नम्बर 191/401 की 6.199 हैक्टेर रकबा प्रार्थी के दादा दादी से प्राप्त कृषि भूमि जण्डावाल बिश्नोईयां को विक्रय कर उक्त रकबा खरीद किया गया है। इसलिए उक्त भूमि जद्दी जायदाद की श्रेणी में आती है जो प्रार्थी के नाम से दर्ज रिकॉर्ड है और प्रार्थी की दो बहनों ने अपना अपना हिस्सा मौखिक रूप से अपीलार्थी/प्रार्थी व रेस्पोडेंट के हक में त्याग दिया है इस प्रकार अप्रार्थी/रेस्पोडेंट का उक्त भूमि में 1/2 हिस्सा बनता है तथा अपीलर्थी ने अप्रार्थी का उसका 1/2 हिस्सा बांट कर दे दिया था तथा मुरब्बा नं 12 के किला नं. 21 में ढाणी बनाकर निवास कर रहा है और उसका अपनी भूमि पर शान्ति पूर्ण कब्जा चला आ रहा है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उसका आगे यह भी कथन है कि उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में उसके नाम होने के कारण उसके मन में बेईमानी आ गई है, जिसके कारण अपीलार्थी/प्रार्थी अप्रार्थी के हिस्से को बेदखल करने तथा रेस्पोडेंट का हिस्सा अन्यत्र किसी को रहन बैय करने के प्रयास किये तो अप्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर के समक्ष एक प्रकरण अनवानी प्रवीण कुमार बनाम ओम प्रकाश आदि संख्या 42/2018 पेश किया जिसमें निर्णय दिनांक 26.3.2019 के द्वारा चक 5 बीएलएम के मुरब्बा नम्बर 12पत्थर नं. 190/400 की 3.162 हैक्टेयर व मुरब्बा नम्बर 22 की पत्थर नम्बर 191/400 की 6.199 हैक्टर रकबा के संबंध मे स्थगन आदेश पारित करते हुए प्रार्थी व अन्य को मूल वाद के निस्तारण तक रिकॉर्ड व मौका की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए गए। इसलिए अपीलार्थी/प्रार्थी की अपील खारिज की जावे।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

मैनें उक्त तर्कों पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया की अपीलार्थी माता पिता एंवं वरिष्ठ नागरिक का भारण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 01.06.2018 को पेश करके चक 5 बीएलएम के मुरब्बा नम्बर 12 के किला नं 21 की ढाणी से प्रार्थी को बेदखल करने की प्रार्थना की थी। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी व रेस्पोडेंट की सुनवाई के उपरांत निम्न प्रकार से आदेश पारित किया:

आदेश

प्रार्थना पत्र में कि.नं. 21 में बनी ढाणी का अंकन किया है, उसमें उसका पुत्र अप्रार्थी प्रवीण कुमार सपरिवार निवास कर रहा है। वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण निर्वाह भत्ता अधिनियम 2007 के अनुसार वरिष्ठ नागरिक जो अपनी स्वयं की सम्पत्ति भविष्य में देख रेख एवं भरण पोषण हेतु अपने बच्चों को अधिनियम 2007 के बाद की ट्रांसफर की जाती है वह सम्पत्ति इस अधिनियम के तहत वापिस प्राप्त कर सकते है। चूंकि उक्त वर्णित भूमि में कि. नं. 21 में बनी ढाणी से अपने पुत्र प्रवीण कुमार को बेदखल किये जाने हेतु प्रकरण वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण निर्वाह भत्ता अधिनियम 2007 की श्रेणी में नही आत है, **इस हेतु प्रार्थी सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर चाहा गया अनुतोष प्राप्त कर सकता है।**

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भरण पोषण अधिनियम के तहत स्वीकार योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.04.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

-Sd-
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
श्रीविजयनगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्री विजयनगर

माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण कल्याण अधिनियम, 2007 के अन्तर्गत माता–पिता अपनी संतानों से भरण पोषण नियमानुसार प्राप्त करने का हकदार हो सकते है और अगर कोई सम्पत्ति भरण पोषण की शर्त के अधीन दी गई हो तो भरण पोषण न दिये जाने की सूरत में उस सम्पत्ति से संतानों को बेदखल किया जा सकता है।

इस प्रकरण में यह देखा जाना है कि क्या उक्त अधिनियम माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण कल्याण अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के अन्तर्गत अपीलार्थी ओप्रकाश चक 5 बीएलएम के मुरब्बा नम्बर 12 के किला नं 21 मे बनी ढाणी से रेस्पोडेंट प्रवीण कुमार को बेदखल करवा सकते है अथवा नहीं?

चूंकि अपीलार्थी ने अपने अपील पत्र में रेस्पोडेंट प्रवीरण कुमार से अपनी उक्त किला नं. 21 में ढाणी से बेदखल करने की प्रार्थना की है। अधिनियम की धारा 23(2) के अनुसार जहां वरिष्ठ नागरिक द्वारा कोई सम्पत्ति भरण पोषण प्राप्त करने की शर्त के अधीन दी गई हो तो ऐसा अन्तरण **भरण पोषण न करने की सूरत में ही शून्य हो सकता है। परन्तु इस मामले में ऐसा कोई अन्तरण नही है इसलिए इस अधिनियम के तहत रेस्पोडेंट की बेदखली पर विचार नहीं हो सकता।** अपीलार्थी रेस्पोंडेंट को उक्त किला नं. 21 में बनी रिहायशी ढाणी से बेदखल करवाना चाहता है, जिसके सम्बन्ध में रेस्पोडेंट/अप्रार्थी ने समक्ष न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर के प्रकरणसंख्या 42/2018 अनवानी प्रवीण कुमार बनाम ओम प्रकाश वगैरहा अन्तर्गत धारा 212 के के तहत दिनांक 26.03.2019 के निर्णय से **अस्थाई निषेधाज्ञा भूमि के रिकॉर्ड व मौका की यथास्थिति** सम्बन्धी मूल **वाद के निर्णय तक प्राप्त कर रखा है।** उक्त विवादग्रस्त सम्पत्ति अपीलार्थी

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

अथवा रेस्पोडेंट की है, इस सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा कोई विचार नहीं किया जा सकता। इस सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय द्वारा ही विचार किया जा सकता है जिसके सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर के समक्ष मामला लम्बित है। इसलिए ऐसी दशा में उपरोक्त विवेचन के अनुसार भरण पोषण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर द्वारा दिनांक 24.04.2019 को दिया गया निर्णय विधिसम्मत् है और उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारीज की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय आदेश प्रति सहित पालनार्थ लौटाया जावे। अपीलार्थी एवं रेस्पोडेंट को भी आदेश की एक–एक प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 26.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री विजयनगर